संख्या 254 / कार्मिक–2 / 2002

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तरांचल शासन।

(2) समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

(3) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

देहरादून : दिनांक 10 अक्टूबर, 2002

कार्मिक विभाग–2

विषय– उत्तरांचल राज्य के नागरिकों को आरक्षण की अनुमन्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य के गठन के फलस्वरूप राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

2. राज्याधीन सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में अनुमन्य आरक्षण केवल उत्तरांचल प्रदेश के निवासी उन जातियों के व्यक्तियों को ही अनुमन्य होगा, जो इस निमित्त उत्तरांचल शासन द्वारा जारी की गयी अनुसूची में सम्मिलित हों।

3. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 24 एवं 25 द्वारा क्रमशः संविधान (अनुसूचित जातियों) आदेश, 1950 तथा संविधान अनुसूचित जनजातियों आदेश, 1950 को उक्त अधिनियम की पांचवीं एवं छठीं अनुसूची में यथा निर्देशित संशोधित कर दिया गया है। तदनुसार उत्तरांचल राज्य की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुनर्गठन अधिनियम की पांचवीं एवं छठीं अनुसूची में पृथक से चिन्हित हो चुकी है। अतः उत्तरांचल राज्य के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश तथा अन्य किसी राज्य का कोई व्यक्ति उत्तरांचल की राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमन्य आरक्षण का लाभ नहीं पा सकेगा।

भवदीय,

आलोक कुमार जैन,
सचिव।